

I/281469/2023

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 96 /84-2-2023

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबंधक,  
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक: 27 फरवरी, 2023

विषय- राज्य उपभोक्ता आयोग में रिक्त गैर न्यायिक महिला सदस्य के पद पर चयनित  
अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों और पूर्ववृत्त के सत्यापन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता आयोग में रिक्त गैर न्यायिक महिला सदस्य के पद के सापेक्ष चयनित महिला अभ्यर्थी का विवरण निम्नवत है-

| क्र० | नाम   |
|------|---|
| 1    | श्रीमती सुधा उपाध्याय पत्नी श्री नवीन चन्द्र उपाध्याय |

2- उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कृपया उक्त चयनित महिला अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराकर शासन को आख्या तत्काल उपलब्ध कराये तथा चयनित अभ्यर्थी का नाम राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाईट पर संरक्षित करवाने का कष्ट करें ।

Signed by अशोक कुमार  
मिश्र

Date: 27-02-2023 10:27:30

Reason: Approved

भवदीय,

(अशोक कुमार मिश्र)

संयुक्त सचिव ।